न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 57 / 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 120
दायर दिनांक :– 24.03.2025 निर्णय दिनांक :– 14.05.2025

1 बाबूलाल पुत्र सुन्दरलाल छंगाणी निवासी सांवरा गांव तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री बुधाराम विश्नोई अधिवक्ता वादी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का ... पेश किया है कि वादीगण के नाम से गैर खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि ग्राम बीठे ... नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 330 रकबा 20–12 बीघा, ... रकबा 15–16 बीघा, खसरा नम्बर 304 रकबा 5–02 बीघा, खसरा नम्बर 340 रकबा ... है। वर्तमान गिरदावरी सम्वत 2079–2082 संलग्न वाद पेश है। उक्त भूमि वादी ... उसी दिन मौके पर चलकर वादी ने कब्जा मौके पर प्राप्त कर लिया था। ... वादी के पक्ष में नामान्तरकरण 44 भरा जाकर स्वीकृत हुआ। गिरदारी ... हल्का ने सरासर गलत तरीके से उक्त भूमि के खातेदार वादी को गैर ... वादी का उक्त भूमि पर आवंटन से लेकर आज दिन तक कब्जा ... उक्त भूमि पर वादी की रहवासी ढाणी, पानी का टांका व पशुओं ... अपने परिवार सहित बार ही मास निवास करते है तथा बरसात ... का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। इसलिये वादी ग्राम ... जिला फलोदी के खसरा नम्बर 330 रकबा 20–12 बीघा, ... नम्बर 304 रकबा 5–02 बीघा, खसरा नम्बर 340 रकबा ... घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह दावा

क... आकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी
गैर... पर प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब
योग्य... सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम
... खसरा नम्बर 330 रकबा 20–12 बीघा,

सहायक
बाप

खसरा नम्बर 331 रकबा 15–16 बीघा, खसरा नम्बर 304 रकबा 5–02 बीघा, खसरा नम्बर 340 रकबा 9–13 बीघा भूमि मे वादी को आवंटन हुई थी। आवंटन के आधार पर वादी के नाम नामान्तरकरण संख्या 44 भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त भूमि में वादी का लगातार कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं होने से गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है। चूंकि वादी के वाद का प्रतिवादी की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं होने से पत्रावली में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के बयान पी.डब्लू–1 एवं पड़ोसी खातेदार पदमाराम पुत्र खेताराम के बयान पी.डब्लू–2 कलमबंद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस मे रखी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बीठे का गांव पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 330 रकबा 20–12 बीघा, खसरा नम्बर 331 रकबा 15–16 बीघा, खसरा नम्बर 304 रकबा 5–02 बीघा, खसरा नम्बर 340 रकबा 9–13 बीघा भूमि वर्तमान मे वादी के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार चला आ रहा है जो तथ्य तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है। इसलिए वादी को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम बीठे का गांव पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 330 रकबा 20–12 बीघा, खसरा नम्बर 331 रकबा 15–16 बीघा, खसरा नम्बर 304 रकबा 5–02 बीघा, खसरा नम्बर 340 रकबा 9–13 बीघा भूमि वादी के नाम आवंटन उक्त भूमि में वादी का लगातार कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं होने से गैरखातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया जिससे यह साबित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम बीठे का गांव पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 330 रकबा 20–12 बीघा, खसरा नम्बर 331 रकबा 15–16 बीघा, खसरा नम्बर 304 रकबा 5–02 बीघा, खसरा नम्बर 340 रकबा 9–13 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम गैर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि वादी के नाम नामान्तरकरण संख्या 44 के द्वारा खातेदारी में दर्ज की गयी। गिरदावरी चौसाला सम्वत 2059–62 में वादग्रस्त भूमि वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज है। गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063–2066 में वादग्रस्त खसरान् की भूमि वादी के नाम गैर खातेदार दर्ज है जो वर्तमान में भी वादी के नाम से गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादी का कब्जा काश्त है इन तथ्यों को तहसीलदार बाप ने अपने जवाब मे कथन किया है। इसी अनुसार वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

आदेश

[illegible] वादी [illegible] तहसील बाप [illegible] में खसरा नम्बर 130 रकबा 20-17 बीघा, खसरा नम्बर 131 रकबा 15-18 बीघा, खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible] बीघा, खसरा नम्बर 140 रकबा 9-1[illegible] बीघा भूमि में वादी को गैर खातेदार से [illegible] घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादी के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो [illegible] खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर [illegible] वादी [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल [illegible])
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)